बिहार सरकार

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

दिनांक 21.08.2025

विषय— **राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के लिए आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति।**

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों से संबंधित रिक्तियों के लिए विभागीय अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) द्वारा प्रतियोगिता-परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में पुरूष अभ्यर्थियों के साथ महिला अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन पत्र समर्पित किये जाते हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं में शिक्षा के प्रसार एवं राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। यह भी विचार किया गया है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता—परीक्षाओं में इन अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क को कम किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

3 अतः सम्यक् विचारोपरांत परीक्षा शुल्क के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी प्रावधानों को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) हेतु परीक्षा-शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र रु॰ 100/— (एक सौ रूपये) निर्धारित किया जाता है। साथ ही, इस परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा आदि के लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. कंडिका—3 का निर्णय मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19.08.2025 को आयोजित बैठक में मद संख्या—08 के रूप में स्वीकृत है।

5. बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि में "आदि" से तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन सभी चयन एजेन्सी से है।

आदेश—यह आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.08.25

(मनोज कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव।

Sankhalp 66

P.T.O

ज्ञापांक–21 / आयोग–02 / 2018,सा०प्र०–**15568** / पटना–15, दिनांक–**21.08.2025**

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (ई–गजट शाखा), पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना / सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना / सचिव, महादलित आयोग, पटना / सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, पटना / सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना / सचिव, केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, पटना / सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार सूचना आयोग, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, लोकायुक्त कार्यालय, पटना / अवर सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार / आई०टी०मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।